भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4030

(जिसका उत्तर मंगलवार, 03 अप्रैल, 2018 को दिया गया)

चंपत हो गयी कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई

4030. श्री बी॰ के॰ हरिप्रसादः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान लोगों से पैसा बटोरने के बाद चंपत हो गयी कंपनियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने ऐसी कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) और (ख): गायब होने वाली कंपनियों की पहचान करने और आगे कार्रवाई करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय तथा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा नीति तैयार करने के निकाय के रूप में एक संयुक्त तंत्र, समन्वय एवं मॉनीटरिंग समिति ने पिछले तीन वर्षों के दौरान गायब कंपनियों की सूची में शामिल करने के लिए किसी कंपनी की पहचान नहीं की है।

*****